न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 134 / 2021

अनवान : –

1. महावीर प्रसाद पुत्र सुगनाराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. आदराम पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।।

– प्रार्थी

बनाम्

1. कृष्णा पुत्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़। (फोत)

   1/1– मुकेश पुत्र कृष्णा पुत्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।

   1/2–राहुल पुत्र कृष्णा पुत्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।

   1/3–सुनीता पुत्री कृष्णा पुत्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।

   1/4–रेणु पुत्री कृष्णा पुत्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।

   1/5– राकेश पुत्र कृष्णा पुत्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
2. केसर पुत्री नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. मानाराम पुत्र महेन्द्र जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. जैता पुत्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. ज्याना पुत्री नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
6. डालुराम पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर ।
7. दुलीचन्द पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
8. मंगलाराम पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छसर तहसील नोहर।
9. मामराज पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छसर तहसील नोहर।
10. माना पुत्री नत्थू जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
11. रामकुमार पुत्र नानक जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
12. मुकेश पुत्र रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी बाच्छसर तहसील नोहर ।
13. मीरा पत्नी रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
14. रोशनी पुत्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
15. लालचन्द पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर ।
16. लेखराम पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
17. सुमित्रा पुत्री महेन्द्र जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
18. सावित्री पुत्री नत्थु जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
19. हनुमान पुत्र नानक जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
20. हरिराम पुत्र नानक जाति मेघवाल निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार [illegible] नोहर।
22. उप पंजीयक खुईया तहसील नोहर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:52:24 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Rahul.

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.
उपस्थिति :— श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 26/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मोजा जबरासर तहसील नोहर के खसरा नं 17/4 मिन की 67 बीघा 10 बिस्वा सम्वत 2012 में खुमाणा वल्द बेगाराम कौम चमार के कब्जा काश्त में थी तथा खुमाणाराम जागिरदार रामसिंह का उपकृषक था तथा उक्त भूमि लगातार खुमाणाराम के कब्जे में रही तथा वही रकम व लगान अदा करता रहा तथा टिनेन्सी एक्ट की धारा 19 के तहत खातेदार काश्तकार हो चुका था इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 19 के तहत खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया तथा भूमि लगातार सम्वत 2012 से कब्जे में होने के कारण वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदार काश्तकार हो चुका था।

सम्वत 2012 से लेकर पेमाईश होने से पहले तक खुमाणाराम उक्त भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार था तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की सभी शर्तों की पालना करता रहा तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत उपकृषक होने के कारण खातेदार काश्तकार हो चुका था मगर वर वक्त पेमाईश उक्त भूमि खुमाणाराम के कब्जे में थी मगर पेमाईश के अधिकारियों ने बिना किसी सही जांच के उक्त भूमि नत्थु, सहीराम, नानक पि० खुमाणा के नाम दर्ज कर दी जबकि नानक, नत्थु, सहीराम जो खुमाणा के भाई थे और इनके पिता का नाम बेगा था। उक्त भूमि नियमानुसार खुमाणाराम वल्द बेगा की कब्जा काश्त की होने के कारण तथा रामसिंह जागिरदार का उपकृषक होने के कारण खुमाणाराम अकेले को खातेदार काश्तकार दर्ज करना चाहिये था पैमाईश के अधिकारियों ने बिना किसी आदेश के खुमाणा के भाईयों के नाम गलत दर्ज कर दी जिसका खुमाणा के अलावा अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नहीं था। धापी पत्नी नत्थुराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस गैरसायल संख्या प्रतिवादी संख्या 2, 5, 7, 9, 10, 16 व 18 है तथा राजो पत्नी महेन्द्र का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस गैरसायल संख्या 3 व 17 है तथा रामस्वरूप पुत्र नत्थु का स्र्गवास हो चुका है जिनके वारिस गैरसायल संख्या 12 व 13 है। उक्त भूमि पुराने खसरा नं. 17 मिन 4 की भूमि हाल खसरा नं. 11 में परिवर्तित हो चुकी है। वादग्रस्त भूमि का अकेला खातेदार खुमाणा वल्द बेगाराम था खुमाणाराम फोत होने के कारण सायलान तरवीवी प्रतिवादी संख्या 24 ता 46 उसकी जगह खातेदार काश्तकार हो चुके है उक्त भूमि पहले खुमाणाराम पुत्र बेगाराम व अब उसके वारिसान सायलान व तरतीवी प्रतिवादीगण के कब्जे में चली आ रही है। उक्त भूमि में नत्थु, सहीराम व नानक पुत्र बेगा का कोई सरोकार नहीं है न ही इनके वारिस गैरसायलान का कोई सरोकार है तथा ना ही गैरसायलान का कोई हक हिस्सा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:52:24 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायलान के बुजुरगान नत्थु, सहीराम [illegible] ने पैमाईश के अधिकारियो से मिलकर अपने नाम विधि विरूद्ध तरीके से [illegible] फोत होने के बाद उनके वारिसों के नाम विधि विरूद्ध दर्ज [illegible] तरतीवी गैरसायलान के खातेदार हकूक का हनन होता है तथा वादी व तरतीवी प्रतिवादी [illegible] अपने खातेदारी हकों की घोषणा करवाके वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि खाता संख्या

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

449/449 के हाल खसरा नं. 11/2 तथा 11/3 की कुल 18.7040 है० भूमि वाके रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर में मृतक धापी पत्नी नत्थु, राजो पत्नी महेन्द्र व रामस्वरूप पुत्र नत्थु व गैरसायल संख्या 1 ता 11 व 14 ता 20 का नाम कलमजन करवाकर तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 23 ता 25 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा, सायल संख्या 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 26 ता 32 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, सायल संख्या 1 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 33 ता 36 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 37 ता 42 का प्रत्येक का 1/42 हिस्सा व तरवीवी प्रतिवादी संख्या 43 ता 45 का संयुक्त रूप से 1/42 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है मगर हाल राजस्व रिकार्ड में गैरसायलान के नाम गलत दर्ज है जिससे सायलान व तरतीवी प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है तथा सायलान अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा कर उपरोक्त हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा पाने के अधिकारी है तथा गैरसायलान का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि गैरसायलान के नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण वादग्रस्त भूमि को फरोख्त करने की धमकी दे रहे है जिससे गैरसायलान का उपरोक्त मकसद पूरा होने से सायलान व तरतीवी प्रतिवादीगण को ना पूरा होने वाला नुकशान होगा इसलिए सायलान गैरसायलान के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि विवादित कृषि भूमि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 449/449 के हाल खसरा नं. 11/2 तथा 11/3 की कुल 18.7040 है० भूमि को रहन, बैय व मुन्तकील ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 449/449 के हाल खसरा नं. 11/2 तथा 11/3 की कुल 18.7040 है० में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित व जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रोही मौजा राणीसर व जबरासर तहसील नोहर में बेगाराम की भूमि स्थित है जिसमें बेगाराम के फौत होने के बाद उसके चारो लड़को ने आपस में वाद भूमि का बाहमी बंटवारा कर लिया जिसमें खुमाणा वल्द बेगा के रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के ख.न. 252 की 2.06 बीघा भूमि ख.न. 263 की 12.10 बीघा भूमि ख.न. 280 की 7 बीघा कुल 21 बीघा 16 बिस्वा भूमि खुमाण वल्द बेगा को हिस्सा में बंटवारा में मिली व अन्य तीनो भाईयों को रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के ख.न. 11 की 75 बीघा 5 बिस्वा भूमि जो नत्थुराम, सहीराम, नानकराम पि. बेगाराम को बाहमी बंटवारा में मिली थी इसी अनुसार 35 वर्ष से मुताबिक बाहमी कब्जा काश्त में चली आ रही है खुमाणा की वाद भूमि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के ख.न. 252, 263 व 281 की 21 बीघा 16 बिस्वा भूमि तो सही तौर से दर्ज कर दी परन्तु अमला माल राजस्व विभाग द्वारा न[illegible]हीराम, नानकराम का हक व हिस्सा तो दर्ज कर दिया तथा नत्थुराम, स[illegible] [illegible] दर्ज किये गये है परन्तु वल्दियत बेगाराम के स्थान पर खुमाणाराम कतई गलत तौर से दर्ज कर दी जिसे सही करवाने के लिए न्यायालय हाजा में राजस्व वाद सं. 101/2012 [illegible]नवानी लेखराम आदि बनाम मामराज आदि बअदालत उपखण्डाधिकरी राजस्व नोहर के समक्ष प्रस्तुत किया है जो दिनांक 31/12/2012

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:52:24 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

को निर्णित होकर वाद स्वीकर करके पर्चा डिक्री जारी कर रोही मौजा जमाबन्दी हाल जबरासर तहसील नोहर के खाता सं. 154/115 के ख.न. 11 की 75 बीघा 5 बिस्वा भूमि जो नत्थुराम, सहीराम, नानकराम पि. खुमाणा के स्थान पर बेगाराम करके खुमाणा का नाम कलमजन करने के आदेश पारित किये गये है तथा रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता सं. 154/115 के ख.न. 11 की 75 बीघा 5 बिस्वा भूमि में सायल सं. 1 व गैरसायलान सं. 1 ता 8 वाद भूमि में 1/3 हिस्सा व गैरसायलान सं. 9 ता 14 एवं गैरसायलान से 15 ता 17 सयुक्तः तोर से 1/3 हिस्सा के तथा वादी सं. 2 गैरसायलान से 18 ता 24 का 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार पूर्ण करवा के पक्षकारो के मध्य डिक्री हुवा। जिसके विरूद्ध श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अपील सं. 132/2013 प्रस्तुत हुई जिसमें वर्तमान वादीगण अपीलन्ट थे महावीर प्रसाद अपीलान्ट सं 3 आदराम अपीलान्ट का कम से 1/2 सख्या था तथा उक्त अपील बअनवानी मालाराम आदि बनाम लेखराम आदि दिनांक 05/04/2017 को खारीज कर दी गई। निर्णय दिनांक 31/12/2012 आज तक बहाल है 10 वर्ष बाद पुनः वाद प्रस्तुति धारा 11 में के त्मे श्रनकपबंजं तहत प्रार्थना पत्र आता है क्योंकि सायलान राजस्व अपील प्राधिकारी के अपील प्रस्तुति में अपीलान्ट थे उक्त भूमि बाबत निर्णय न्यायालय हाजा द्वारा किया जा चुका है पुनः कानूनी तौर से वाद व दरख्वास्त चलने योग्य नही है इन्ही आधारो पर दावा खारीज योग्य है तथा खुमाणा कभी भी रामसिंह का उपकृषि नही रहा ना ही जबरासर की भूमि में खुमाणा का कोई कब्जा रहा है सहबन से भाई खुमाणा की वल्दियत बेगा के स्थान पर नाम गलत दर्ज हो गया जो न्यायालय हाजा से पर्चा डिक्री से दुरूस्त हो चुका है। कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। नत्थुराम, सहीराम, नानकराम पि. बेगाराम का ही कब्जा काश्त रहा है खुमाण नत्थुराम, सहीराम, नानकराम का भाई है उसका वल्दियत के तौर पर बेगा के स्थान पर कतई गलत नाम दर्ज हुवा था जो न्यायालय हाजा द्वारा पर्चा डिक्री दिनाक 03/12/2012 प्रकरण सं. 101/2012 से सही हो चुका है अब सायलान का वाद भूमि के कोई हक व हिस्सा नही है इसके अतिरिक्त सायलान का भाई प्रहलाद पुत्र सुगनाराम द्वारा स्वंय ने दिनांक 03/08/2021 से राजीनामा लिख कर दिया जिसमें सायल सं. 1 के सगे भाई प्रहलाद पुत्र सुगनाराम ने न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर के समक्ष वाद लेखराम बनाम मामराज आदि प्रकरण सं. 101/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 31/12/2012 अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट निर्णित हुआ है जो सही है व विधि अनुकुल है तथा अपील सं. 132/2013 बअनवानी मालाराम आदि बनाम लेखराम दिनांक 05/04/2017 को सही खारीज की गई है जब सायल सं. 1 का भाई उपरोक्त निर्णय एस.डी.ओ. कोर्ट का त।। सही व विधि सम्मत बताता है तो सायल सं. 1 को वाद लाने का कोई अधिकार शेष नही रहता है तथा धारा 115 Evidence Act से उक्त राजीनामा के वाद विवधित यानि Estoplled है। सायल सं. 1 व 2 व सायालन सं. 3 अपीलान्ट सं. 2 श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील सं. 132/2013 पेश की थी जो दिनांक 05/04/2017 को खारीज हो चुकी है सायलान को स्वंय ने अपील वादग्रस्त भूमि की डिक्री के विरूद्ध पेश की थी जो उनके विरूद्ध निर्णित हो चुकी है सायलान ने उपरोक्त महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य न्यायालय हाजा से छुपाये है तथा अदालत हाजा को गुमराह करके दो अदालतो से निर्णित भूमि पर स्थगन आदेश प्राप्त करना चाहते है गैरसायलान को भारी असुविधा व नुक्शान पहुंचा रहे है इसलिए दरख्वास्त सायालन खारीज योग्य है। वाद भूमि बाबत न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 31/12/2012 को दिया जा चुका है पुनः उन्ही विवाध विषयो को न्यायालय हाजा सुनवाई नही कर सकता है दरख्वास्त सायलान गैर कानूनी झुठे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:52:24 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मनगढ़त तथ्यों पर आधारित है तथा अदालत को धोखे व मुगलाते में रखकर वाद भूमि जिससे सायलान का कोई हक नही है गैरसायलान ही खातेदारी भूमि पर गैर कानूनी ढंग से स्थगन आदेश जारी करवा रखा है जो माननीय अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के न्यायालय निर्णय की अवमानना है एवं सायलान न्यायालय हाजा के समक्ष समस्त तथ्य छुपाऐ है पूर्व निर्णयों को छुपाकर अदालत को धोखे में रखकर स्थगन प्राप्त किया है इसके अतिरिक्त एक प्रार्थना पत्र ऑडर 9 रूल 13 सी.पी.सी का बअनवानी लेखराम बनाम मामराज न्यायालय हाजा में जैरकार है उपरोक्त समस्त कानूनी निर्णय व पर्चा डिक्री व विचाराधीन प्रकरण को छुपाते हुऐ सायलान ने अदालत को गुमराह व धोखे में रखकर स्थगन प्राप्त किया है जो काबिल खारीजी के है।प्रथम दृष्टया मामला प्रथम पेशी पर खारीज योग्य है प्राकृतिक न्याय सुविधा का सन्तुलन का नाम लेकर सायलान ने न्यायालय हाजा में धोखा एवं मुगलाता में रखकर स्थगन आदेश जारी करवा रखा है जो विधि की स्पष्ट अवहेलना में दरख्वास्त सायालान खारीज योग्य है। अधिवक्त अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्यू 2008(3) पेज न0 2224 व आरबीजे 2019 (3) पेज 373 पेश किये।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि पेमाईश के अधिकारियों ने बिना किसी सही जांच के उक्त भूमि नत्थु, सहीराम, नानक पि० खुमाणा के नाम दर्ज कर दी जबकि नानक, नत्थु, सहीराम जो खुमाणा के भाई थे और इनके पिता का नाम बेगा था। उक्त भूमि नियमानुसार खुमाणाराम वल्द बेगा की कब्जा काश्त की होने के कारण तथा रामसिंह जागिरदार का उपकृषक होने के कारण खुमाणाराम अकेले को खातेदार काश्तकार दर्ज करना चाहिये था पैमाईश के अधिकारियों ने बिना किसी आदेश के खुमाणा के भाईयों के नाम गलत दर्ज कर दी जिसका खुमाणा के अलावा अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नहीं था गैरसायलान द्वारा अनुचिते तरीके से उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाई गई है गैरसायलन के नाम वाद भूमि गलत दर्ज होने के कारण गैरसायलान रहन, बेय करना चाहते है जबकि अप्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि का इस न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है एवं न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेशो की सक्षम न्यायालय में अपील भी पेश की जा चुकी है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत चित्रपति निर्णय दिनांक 31.12.2012 अनवानी लेखराम आदि बनाम मामराज आदि में इसी वाद भूमि बाबत निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय की अपील प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के पेश की गई एवं माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा भी दिनांक 05.04.2017 को निर्णय पारित किया जा चुका है एवं न्यायालय हाजा द्वारा भी प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 लेखराम बनाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:32:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मामराज में दिनांक 24.09.2025 को निर्णय पारित किया जा चुका है फिर भी प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थी द्वारा पुन प्रार्थना पत्र/वाद पत्र पेश किया गया है जो की न्यायोचित नही है उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 13.09.2021 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक.......26/11/25.......मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:52:24 IST
Reason: SelfAttested